कार्यालय निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

परिपत्र

विभाग की योजनाओं से संबंधित चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 के संशोधित अनुमान अंतिम हो चुके हैं एवं विभिन्न योजनाओं में विभाग को प्राप्त राशि अधीनस्थ कार्यालयों को आवंटित भी की जा चुकी है। जैसा कि विदित है कि वित्तीय वर्ष समाप्ति की ओर है और वित्तीय वर्ष में बजट का नियमानुसार उपयोग करते हुए यथा निर्धारित भौतिक लक्ष्य पूर्ण किये जाने अपेक्षित हैं।

यहां यह उल्लेखनीय है कि फरवरी माह तक विभिन्न योजनाओं में व्यय प्रगति संतोषजनक नहीं है और कई कार्यालयों द्वारा प्रवेशोत्सव, शैक्षिक भ्रमण, प्रशिक्षण, छात्रवृति आदि योजनाओं में व्यय/भौतिक प्रगति प्राप्त नहीं की गई है जो बहुत ही खेदजनक है। वर्ष के अंत में वित्तीय प्रावधानों के अप्रयुक्त रहने/व्ययपगत होने को वित्त विभाग द्वारा गम्भीरता से लिया जाता है और लेखा परीक्षणों में इस बाबत आक्षेप सृजित होते हैं।

अतः इस संबंध में सभी अधीनस्थ कार्यालयों को निर्देश दिये जाते हैं कि वे आवंटित बजट का नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करते हुए शत प्रतिशत भौतिक/वित्तीय प्रगति प्राप्त करना सुनिश्चित करें। कार्मिकों/अध्यापकों के वेतन एरियर, यात्रा भत्ता, मेडिकल बिल आदि के लिए आवंटित राशि का यथासमय भुगतान किया जाना सुनिश्चित करें, इस हेतु अधीनस्थ कार्यालयों को समय–समय पर राशि आवंटित की जाती रही है। इस बाबत् कोई बकाया दायित्व न रखें जावे। आवंटित बजट के व्ययपगत होने/अप्रयुक्त रहने की स्थिति में सभी संबंधित के विरूद्ध कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

भवदीय,

(राजेन्द्र सिंह डूडी)
वित्तीय सलाहकार
प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा–प्रारं/यो–I/5551/वो–II/2017–18/200 दिनांकः– 06/03/18

1. निदेशक, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर।
2. उपनिदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, समस्त।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, समस्त।
4. प्रधानाचार्य, जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान, समस्त।
5. ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, समस्त।
6. अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत।

वित्तीय सलाहकार
प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर